तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
	15/12/25 [illegible] पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त/[illegible] होने से जनरल तारीख पेशी दी गई। [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 2/1/26 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	2/1/2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी 11, 19, 40, 43, 63, 64 उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय की जाती है। प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब पेश होकर बहस की गई। वास्ते आदेश दिनांक 5/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी [illegible]	
	5/1/2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। प्रा० प्रारम्भिक आपत्ति एवं मूल प्रार्थना पत्र जवाब का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्षान सुना गया। प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जाती है। मूल वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 5/1/26 उप खण्ड अधिकारी [illegible]	

न्यायालय उपजिला

मु. न. 144 / 2024
दर्ज दिनांक 31.12.2024
निर्णय दिनांक 05.01.2026

1. तोफली देवी पत्नि राम
2. दाखा देवी पत्नि मुल
3. बद्री पुत्र रामनारायण
4. मलखान पुत्र मूल्या
5. रेवड पुत्र अर्जुन
6. राजन्ती पुत्री मूल्या
7. रामचन्द्र पुत्र रामर
8. रामप्रसाद पुत्र राम
9. रोशनलाल पुत्र म
10. लालचन्द पुत्र अ
11. सुबेसिंह पुत्र मू
समस्त जाति गुर्जर

1. अमरसिंह पु
2. इन्दर राज
3. रामप्रसाद
4. मु. नाथी
5. कमल सिं
6. विमल
7. सन्तरा
8. धम्मा
9. कम्पूरी
10. कमल
11. कमली
12. कमल
13. मुथरी
14. कमो
15. कैल
16. कस

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

मु. न. 144 / 2024
दर्ज दिनांक 31.12.2024
निर्णय दिनांक 05.01.2026

उनवान

1. तोफली देवी पत्नि रामरख
2. दाखा देवी पत्नि मुल्या
3. बद्री पुत्र रामनारायण
4. मलखान पुत्र मूल्या
5. रेवड पुत्र अर्जुन
6. राजन्ती पुत्री मूल्या
7. रामचन्द्र पुत्र रामरख
8. रामप्रसाद पुत्र रामरख
9. रोशनलाल पुत्र मूल्या
10. लालचन्द पुत्र अर्जुन
11. सुबेसिंह पुत्र मूल्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी गुजरवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामकरण
2. इन्दर राज पुत्र स्व. हीरालाल
3. रामप्रसाद पुत्र कन्हैया
4. मु. नाथी देवी पत्नि रामेश्वर
5. कमल सिंह
6. विमल — पुत्रान रामेश्वर
7. सन्तरा
8. धम्मा — पुत्रीयान रामेश्वर
9. कम्पूरी पुत्री श्रीया
10. कमल सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
11. कमली पत्नि रुगनाथ
12. कमली पत्नि श्योदान
13. मुथरी
14. कमोद — पुत्रीयान कल्याण
15. कैलाशी पुत्री श्रीया
16. कस्तूरी देवी पत्नि स्व. हीरालाल

Scanned with OKEN Scanner

17. केसूला बाई पुत्री चन्दर
18. कालूराम पुत्र मीठालाल
19. किस्तूरी देवी पत्नि रामहेत
20. कौशल्या पुत्री रामकरण
21. गंगा पुत्री हरसहाय
22. हंसा देवी पुत्री रामकिशन
23. गुठ्ठल पुत्र रामकिशन
24. गिर्राज पुत्र नानगा
25. गिर्राज प्रसाद पुत्र नानगा
26. ओमप्रकाश
27. हरिराम
28. कन्हैया
29. प्रहलाद

} पुत्रान गोपाल

30. रामोती
31. किशन बाई

} पुत्रीयान गोपाल

32. चतरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
33. जगदीश पुत्र हारया
34. जयराम पुत्र रामकिशन
35. जयसिंह पुत्र हरनाथ
36. जितेन्द्र कुमार पुत्र मीठालाल
37. धनकोर पुत्री हरिकिशन
38. धनबाई पुत्री हरिकिशन
39. धर्मसिंह पुत्र हरिकिशन
40. धारासिंह पुत्र रामहेत
41. नाथू पुत्र देवा
42. नाथी देवी पत्नि रामकरण
43. निहाल सिंह पुत्र रुगनाथ
44. प्यार सिंह पुत्र चन्दर
45. प्रभूदयाल पुत्र रामकिशन
46. बच्चूसिंह पुत्र चन्दर
47. बच्चूसिंह पुत्र हरसहाय
48. बृजमोहन पुत्र हरिकिशन
49. मु. मंजू देवी पत्नि बलवीर
50. अतुल पुत्र बलवीर
51. बाबूलाल पुत्र जीताराम
52. मु. मठ्ठो देवी पत्नि भगवान सहाय
53. विश्राम
54. भोल्या
55. राजन
56. शिवराम

} पुत्रान भगवान सहाय

57. बिल्लू पुत्र भगवान सहाय

Scanned with OKEN Scanner

58. पप्पी } पुत्रीयान भगवान सहाय
59. रेशमा }
60. भवानीसिंह पुत्र कल्याण
61. मुखराज पुत्र हरिकिशन
62. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. हीरालाल
63. महेन्द्र पुत्र रामहेत
64. मोती पुत्र भौरया
65. मोहरसिंह पुत्र रामकरण
66. रघुवीर पुत्र रामकिशन
67. रघुवीर पुत्र हरनाथ
68. रतीराम पुत्र श्योदान
69. रमेश चन्द पुत्र स्व. हीरालाल
70. राजन्ती बाई पुत्री रामचन्दर
71. मु. धन बाई पत्नि रामअवतार
72. धारासिंह }
73. बबलू } पुत्रान रामअवतार
74. रामचन्द्र पुत्र श्रीया
75. नाथी पुत्री रामजीलाल
76. रामदयाल पुत्र कल्याण
77. रामनिवास पुत्र गणेश
78. रामबाई पुत्री स्व. हीरालाल
79. रामभरोसी पुत्र रामस्वरूप
80. रामरूप पुत्र हरनाथ
81. रामेश्वर पुत्र जीताराम
82. लक्ष्मा पत्नि लक्ष्मीनारायण
83. लक्ष्मा पत्नि हरनाथ
84. विजेन्द्र पुत्र रामकरण
85. विनोदी पुत्री रामकरण
86. विमला पुत्री रामकरण
87. विश्राम सिंह पुत्र स्व. हीरालाल
88. श्योनाथ पुत्र देवा
89. शेरसिंह पुत्र स्व. हीरालाल
90. श्री किशन पुत्र परता
91. शांति पुत्री स्व. हीरालाल
92. शान्ति पुत्री रामकरण
93. शिवचरण पुत्र कल्याण
94. शिवदान पुत्र जीताराम
95. सुकमा देवी पत्नि रामकरण
96. सूरज पुत्री स्व. हीरालाल
97. सविता पुत्री चन्दर

Scanned with OKEN Scanner

98. सविता देवी पत्नि मीठालाल
99. सांवताराम पुत्र मेवा
100. सोनी देवी पत्नि स्व. हरिकिशन
101. हुकम सिंह पुत्र श्योदान
102. हरिराम पुत्र रामस्वरूप
103. नन्दकिशोर पुत्र गंगासहाय
104. मंजू पुत्री जयसिंह
105. मीरा पुत्री जयसिंह
106. रामचरण
107. हनुमान
108. रामभजन
} पुत्रान गंगाबिशन
109. गुड्डी पुत्री गंगाबिशन
110. मु. तोफली पत्नि लिछमीनारायण
111. राजाराम पुत्र लिछमीनारायण
112. सुवा
113. भूली
114. बसन्ती
} पुत्रीयान लिछमीनारायण
115. कंजन पुत्र रामनारायण
116. रतनलाल पुत्र इसरया
117. हंसराज पुत्र इसरया

समस्त जाति गुर्जर निवासी गुजरबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

118. कॉपोरेशन बैंक शाखा पीचूपाडा खुर्द जरिये व्यवस्थापक
119. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिकन्दरा जरिये व्यवस्थापक
120. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक 05.01.2026

वादी द्वारा विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी आधिनियम जरिये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर एडवोकेट के द्वारा पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:— प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में इस आशय से पेश किया है कि भूमि खाता सं. नया 16 आराजी खसरा नं. 209 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 210 रकबा 0.36 हैक्टे., खसरा नं. 211 रकबा 0.42 हैक्टे., खसरा नं. 212 रकबा 0.20 हैक्टे. कुल किता 04 कुल रकबा 1.01 हैक्टे. वाके ग्राम गुजरबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 115 लगायत 117 खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पेश है। भूमि खाता सं. नया 32 व पुराना 31 आराजी खसरा नं. 195 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा नं. 196 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा नं. 197 रकबा 0.39 हैक्टे., खसरा नं. 198 रकबा 0.39 हैक्टे., खसरा नं. 199 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नं.

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.07 हैक्टे., खसरा नं. 201 रकबा 0.36 हैक्टे., खसरा नं. 202 रकबा 0.08 ., खसरा नं. 213 रकबा 0.30 हैक्टे,, खसरा नं. 214 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 215 बा 0.23 हैक्टे., खसरा नं. 217 रकबा 0.35 हैक्टे., खसरा नं. 219 रकबा 0.36 हैक्टे., सरा नं. 221 रकबा 0.23 हैक्टे., खसरा नं. 222 रकबा 0.26 हैक्टे., खसरा नं. 223 रकबा 6 हैक्टे., खसरा नं. 224 रकबा 026 हैक्टे0, खसरा नं. 225 रकबा 0.26 हैक्टे., खसरा नं. 6 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 227 रकबा 0.31 खसरा नं. 228 रकबा 0.35 हैक्टे., सरा नं. 229 रकबा 0.28 हैक्टे., 0.31 हैक्टे,, खसरा नं. 230 रकबा 0.46 हैक्टे., खसरा नं. 31 रकबा 0.31 हैक्टे खसरा नं. 232 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नं. 233 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा नं. 234 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नं. 235 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नं. 236 रकबा .30 हैक्टे., खसरा नं. 237 रकबा 0.17 हैक्टे. कुल किता 30 कुल रकबा 8.41 हैक्टे. वाके ग्राम गुजरबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके अप्रार्थीगण खातेदार है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पेश है। भूमि खाता सं. नया 5 व पुराना 3 आराजी खसरा नं. 206 रकबा 0.34 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.34 हैक्टे. वाके ग्राम गुजरबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके अप्रार्थीगण खातेदार है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पेश है। भूमि खाता सं. नया 24 व पुराना 27 आराजी खसरा नं. 179 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 180 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 181 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 207 रकबा 0.65 हैक्टे,, खसरा नं. 208 रकबा 0.02 हैक्टे. कुल किता 05 कुल रकबा 0.85 हैक्टे. वाके ग्राम गुजरबास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके अप्रार्थीगण खातेदार है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 पेश है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 115 लगायत 117 की खातेदारी भूमि जो पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा अपने खेतो में आने–जाने के लिये मौके पर रास्ता जो नजरी नवशे में ए, बी, सी, डी बैरंग सुर्ख से दर्शित है, जो गै.मु.रास्ता खसरा नं. 199 से खसरा नं. 201 से खसरा नं. 206 व खसरा नं. 207 में होकर 16 फिट चौडा रास्ता मौके पर है। जो खसरा नं. 214 के पुख्ता बाउण्ड्रीवाल के लगते हुये है। जिस पर प्रार्थीगण अपनी भूमि व प्रार्थी बद्री पुत्र रामनारायण का पुख्ता रिहायशी मकान बना हुआ है व भूमि काश्त पर मौके पर आते–जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने–जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। जमाबन्दी में वर्णित कन्हैया पुत्र गणेश, कल्याण पुत्र परता, गंगा देवी पत्नि रामकिशन, गोपाल पुत्र गोविन्दा, धारासिंह पुत्र रामकरण, बलवीर पुत्र लक्ष्मीनारायण, भगवानसहाय पुत्र गोविन्दा, रमकी पत्नि चन्दर, रामअवतार पुत्र देवा, रामकरण पुत्र परता, रामजीलाल पुत्र गणेश, हीरा देवी पत्नि कल्याण, गंगाबिशन पुत्र रामकुंवार, लिक्ष्मीनारायण पुत्र रामकुंवार फौत हो चुके है किन्तु इनके वारिसों के नाम जमाबन्दी में अभी नामान्तकरण नही खुला है। मृतको के विधिक वारिसानो को अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया है। वादपत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 115 लगायत 117 की संयुक्त खातेदारी भूमि होने से अप्रार्थी सं. 115 लगायत 117 को पक्षकार अप्रार्थी बनाया है इनसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नं. 212 में आने–जाने के लिए खसरा नं. 201, 206, 207 में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी, डी के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नं. 201, 206, 207 बैरंग सुर्ख रास्ते में होकर ही अपनी काश्त के लिए ट्रैक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि उपयोग में काम आने वाले साधनों को लाते ले जाते है तथा अपने रिहायशी मकान में आते–जाते है तथा उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पास अपने काश्त की आराजीयात जो वादपत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित है,

Scanned with OKEN Scanner

में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। रिकॉर्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को खेती काश्त के समय भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण को काश्त के समय परेशानी उठानी पड़ती है और फसलों व चारे वगै, को लाने ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने–जाने से महरूम हो जावेगें। इस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में आने–जाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 201, 206, 207 में बैरंग सुर्ख ए.बी. सी.डी के अनुसार 16 फिट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा सहमति से अप्रार्थीगण के खेत बैरंग सुर्ख ए, बी, सी, डी में होकर रास्ता चालू है, किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ते का इन्द्राज नहीं होने की आड में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के आवागमन में बैरंग सुर्ख ए, बी, सी, डी रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते है तथा उक्त रास्ते में पुख्ता व खाम निर्माण कर रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। इस हेतु प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारों को रास्ता विहिन जोतों तक पहुँचने के लिए राजकीय भूमियों में से रास्ता दिये जाने के लिए राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (52) राज. 6/12/4 दिनांक 14. 06.2013 को दिशा–निर्देश भी जारी किये है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 201, 206, 207 में से रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि के एवज में श्रीमान् के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी तैयार है। अप्रार्थीगण दिनांक 20.12.2024 को बैरंग सुर्ख ए, बी, सी, डी रास्ता जहाँ सी से डी रास्ते पर प्रार्थीगण का लोहे का गेट लगा हुआ है। उक्त रास्ते को बन्द करने की गरज से पत्थर आदि डालने लगे। प्रार्थीगण ने बड़ी मुश्किल से उपस्थित लोगो के सहयोग से समझाईश कर अप्रार्थीगण को रास्ता बन्द करने से रोका किन्तु अप्रार्थीगण ऐलानिया धमकी दे रहे है। उक्त रास्ते की भूमि उनकी खातेदारी में होने से वह जबरन रास्ता निकालेगें इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः एव प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 201, 206, 207 मे से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 212 में आने–जाने के लिए 16 फिट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा बैरंगसुर्ख ए.बी.सी.डी. से दर्शित है। में रास्ता देने के लिए आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई अप्रार्थी संख्या 12, 13, 14, 17, 18, 36 लगा. 39, 42, 44, 46, 48, 60, 68, 70, 76, 84, 90, 93, 97, 98, 100, 103 लगा. 108,111, की ओर से अनिल पोसवाल व ऋषिराज शर्मा द्वारा पावर पेश की गई प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ,15, 16, 20 से 35 41, 45, 47, 49 से 59, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 71 से 75 77 से 83 85 से 87 बावजूद रजिस्टर ए डी संबंध तलवी होने पर भी उपस्थित नही पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई अप्रार्थी संख्या 13, 14, 17, 18, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 60, 48, 70, 76, 84, 90, 93, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 109, 110, 112 लगा. 120 की दिनांक 08.10.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1लगा 3 6 व 10 का नाम हजफ किया गया प्रतिवादी संख्या 11, 19, 40, 43, 63, 64 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी संख्या 13, 14, 17, 18, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 60, 70, 76, 84, 90, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111 की ओर से निम्न जवाब पेश गया:-

जम्मन न. 1 लगा. 5 स्वीकार है। प्रार्थीगण कभी भी आराजी खसरा न. 201, 206, 207 के रूप में इस्तेमाल नही किया है। ना ही मौके पर कोई आम रास्ता नहीं है। गण गैर मुमकिन रास्ता खसरा न. 199 जो प्रार्थीगण के शामलाती के खसरा न. 215 लगते हुये है। जिससे प्रार्थी खसरा न. 212, 213 तक आते जाते रहे है। प्रार्थीगण का कथन की आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। असत्य है। गलत है।

दग्रस्त खसरा न. 201, 206, 207 अप्रार्थीगण की शामलाती कृषि योग्य भूमि है। जिसमें ार्थीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार शान्ति पुर्वक अपनी रहवास व काश्त करते आ रहे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने काश्त व रहवास तक आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता सरा न. 199 का उपयोग करते आ रहे है। रिकोर्डेड रास्ता प्रार्थीगण के खसरा न. 215 क जाता है। प्रार्थीगण 215, 213 के उपयोग खसरा न. 212 तक आने जाने के रास्ते के प में उपयोग कर रहे है और आज भी कर रहे है। प्रार्थीगण ईरादतन अप्रार्थीगण ादग्रस्त 201, 206 207 में से रास्ता प्राप्त करना चाहतें है। जो धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधी से बाहर है। प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता पूर्व से मौके पर उपलब्ध है जो चालू हालत में प्रार्थीगण धारा 251ए रा.का.अधि. मे रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 108 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रारम्भिक आपत्ति मौका रिपोर्ट टी.डी.आर बांदीकुई एंव पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किये जाने बाबत निम्न प्रकार पेश किया गया – प्रार्थीगण ने खाता संख्या 16 जिसके खसरा नम्बर 202, 210, 211, 212 कुल किता 04 कुल रकबा 1.91 हैक्टे स्थित गुजरबास तहसील बांदीकुई में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 201, 206, 207 में से होकर नवी रास्ता आ रहा है जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बांदीकुई से प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट तलब की जावे उक्त रिपोर्ट पूर्ण रूपेण मौके की स्थिति के विरूद्ध बिना वाद के पक्षकारो की मॉजूदगी में तैयार की गई है जो निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, 06, 09, 10 खाता संख्या 16 के सहखातेदार है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नही कर सकता है। तहसीलदार महोदय बांदीकुई एंव हल्का पटवारी ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी संख्या 04, 05, 07, 08, व 11 लगायत 17 को अनुचित लाभ दिये जाने के ईरादे से गलत मौका रिपोर्ट पेश की है जबकि गै.मु.रास्ता भूमि खसरा नम्बर 199 का अन्तिम छोर खसरा नम्बर 214 तक जाता है। जिसके पश्चात प्रार्थीगण के आराजी खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 209, 211, 212 स्थित है तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने खसरा नम्बर 214 को मौका रिपोर्ट में जानबूझकर दर्ज नहीं किया है यदि खसरा नम्बर 214 को नक्शा रिपोर्ट में दर्ज किया जाता तो स्पष्ट हो जाता की प्रार्थीगण को खाता संख्या 16 तक पहुँचने के लिए सबसे सरल सुविधा जनक रास्ता स्वंय के खसरा नम्बर 214 से नजदीक में स्थित है प्रस्तुत रिपोर्ट पूर्ण रूपेण मौका एंव अभिलेख के विरूद्ध जाकर तैयार की गई है जो निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण के सही एंव सटीक न्याय निर्णय के लिए स्वंय पीठासीन

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी महोदय वादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार महोदय की मौका रिपोर्ट पूर्ण रूपेण विरोधाभासी है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अन्य उज्जात वर वक्त बहस अर्ज किए जावेगे। अतः प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर बहस की गई बहस के दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तर्क किया की वाद में बांदीकुई तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर तर्क किया है कि जवाब दावे को साबित करने हेतु प्रार्थी को स्वयं साक्ष्य पेश करने होते है ना कि अदालत हाजा के द्वारा साक्ष्य इकठठे नही किये जा सकते इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जावे तथा मुल वाद स्वीकार किया जावे। न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक आपत्ति प्रा0 पत्र के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जवाब दावे अथवा आपत्ति प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु स्वंय प्रार्थी को दस्तावेज उपलब्ध करवाने होते है। पत्रावली में पूर्व से ही तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट मौजूद है और साक्ष्य न्यायालय द्वारा साक्ष्य इकठ्ठे नही किये जा सकते इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मूल वाद की ताईद में पेश दस्तावेजात नक्शा ट्रैस एवं तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 1051 दिनांक 25.03.2025 मे अवगत कराया कि खसरा नम्बर 201 में ग्रेवल मोरम डालकर अस्थायी रूप से रास्ता चालू है तथा खसरा नम्बर 206, 207 में मिट्टी डालकर रास्ता बना हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे को साबित करने हेतु कोई भी दस्तावेज जवाब दावे के साथ पेश नहीं किये गये है। जिससे प्रतिवादीगण का जवाब दावा साबित नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि में तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 201, 206, 207 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 212 में रास्ता होना प्रतीत होता हैं। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 201, 206, 207 मे से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 212 में आने–जाने के लिए 16 फिट चौडा रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते मे अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल.सी दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बांदीकुई को विधिवत जमा करावें। तहसीलदार बांदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा तहसीलदार बांदीकुई उक्त अवाप्त रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि को विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 05.01.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner